



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3794]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2018/आश्विन 3, 1940

No. 3794]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2018/ASVINA 3, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018.

का.आ. 4969(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 185 (अ), तारीख 20 जनवरी, 2016 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 के 0.000 कि.मी. से 75.00 कि.मी. (छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12.01.2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12. 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11. 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015 और सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसम्बर 2016, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 और सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 722(पुराना रा.रा-102) के छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर सेक्शन के 1.300 किमी

(विद्यमान 1.300 किमी) से 74.349 किमी (विद्यमान 74.200 किमी) तक (जिसे इसमें इसके पश्चात “उक्त खंड” कहा गया है) पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क की निवल लम्बाई 66.016 किमी और संरचना की कुल समकक्ष लंबाई (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) 10.14 किमी (जिसकी लम्बाई 1.014 कि.मी. है) हेतु नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात “आधार दर” कहा गया है) के 60% की दर पर, और कुल 6.02 किमी, निवल लंबाई के बाइपासों जिनकी लागत दस करोड़ रूपए या अधिक है, के उपयोग के लिए 90% की आधार दर पर प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से इस अधिसूचना के प्रकाशन की अथवा वास्तविक क्रियान्वयन की तारीख को और से, जो भी बाद में हो; उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	प्रभावित सेक्शन (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
सारन जिले में सोहनो गाँव के पास, 25.900 किमी पर (विद्यमान चैनेज 25.700 किमी)	1.300 किमी से 37.825 किमी	29.554 [[60 मी. से अधिक लंबाई की 0.951 किमी संरचनाओं] और 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास की लंबाई को छोड़कर]	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
मुजफ्फरपुर जिले में पोखरेरा गाँव के पास, 54.350किमी पर (विद्यमान चैनेज 54.103किमी)	37.825 किमी से 74.349 किमी	36.462 [[60 मी. से अधिक लंबाई की 0.063 किमी संरचनाओं] और 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास की लंबाई को छोड़कर]	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रूपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	प्लाजा का बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
सारन जिले में सोहनो गाँव के पास, 25.900 किमी पर (विद्यमान चैनेज 25.700 किमी)	गरखा बाइपास (डिज़ाइन चैनेज 9.900 किमी से 13.370 किमी)	3.470	24.97	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	माकेर बाइपास (डिज़ाइन चैनेज 32.250 किमी से 34.800 किमी)	2.550	17.53	
मुजफ्फरपुर जिले में पोखरेरा गाँव के पास, 54.350किमी पर (विद्यमान चैनेज 54.103किमी)	शून्य			

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु बाइपास पर संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
सारन जिले में सोहनो गाँव के पास, 25.900 किमी पर (विद्यमान चैनेज 25.700 किमी)	0.951*	9.510	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
मुजफ्फरपुर जिले में पोखरेरा गाँव के पास, 54.350किमी पर (विद्यमान चैनेज 54.103किमी)	0.063**	0.630	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
कुल	1.014	10.140	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अवस्थान (डिज़ाइन चैनेज)	लंबाई (किमी में)	संरचना का प्रकार
(i)	37.440	0.951	बड़ा पुल

**60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अवस्थान (डिज़ाइन चेनेज)	लंबाई (किमी में)	संरचना का प्रकार
(i)	68.635	0.063	बड़ा पुल

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।
11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 644.09 करोड़ रूपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फ़ा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/17-18/ जीसी-छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर]

अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2018

S.O. 4969(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 185 (E) dated 20th January 2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 to km 75.00 (Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur section) of National Highway No. 102 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated 5.12.2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, G.S.R 831(E) dated 21.11.2014, G.S.R 220(E) dated 23.3.2015 and G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114 (E) dated 2nd December,2016, G.S.R 248 (E) dated 14th March, 2017 and G.S.R 427 (E) dated 7 May, 2018 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”), the entral Government hereby levies the fee for the use of Two lane with paved shoulders Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur section from km 1.300 (Existing km 1.300) to km. 74.349 (Existing km. 74.200) on NH -722 (old NH-102) in the State of Bihar (hereinafter referred to as the “said section’), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for net road length of 66.016 km. and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 10.14 km (having length of 1.014 km.) and at 90% the base rate for total 6.02 km of net length of bypasses costing Rupees Ten crore or more and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (Design chainage)	Influence Section (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 25.900 (existing chainage Km.25.700) near village Sohno in Saran District	Km. 1.300 to Km. 37.825	29.554 [[excluding 0.951 Km. length of structures > 60m) and length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 54.350 (existing chainage Km. 54.103) near village Pokhraise in Muzaffarpur District.	Km. 37.825 to Km. 74.349	36.462 [[excluding 0.063 Km length of structures >60 m) and length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 25.900 (existing chainage Km. 25.700) near village Sohno in Saran District	Garkha Bypass (Design chainage Km. 9.900 to Km.13.370)	3.470	24.97	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Maker Bypass (Design chainage Km.32.250 to Km 34.800)	2.550	17.53	
At km 54.350 (existing chainage Km.54.103) near village Pokhraise in Muzaffarpur District.	Nil			

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At km 25.900 (existing chainage Km. 25.700) near village Sohno in Saran District	0.951*	9.510	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

At km 54.350 (existing chainage Km.54.103) near village Pokhaira in Muzaffarpur District.	0.063**	0.630	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	1.014	10.140	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Location (Design Chainage)	Length (Km.)	Type of Structure
(i)	37.440	0.951	Major Bridge

**Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Location (Design Chainage)	Length (Km.)	Type of Structure
(i)	68.635	0.063	Major Bridge

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty-five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 644.09 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/17-18/GC-Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur]

AMIT KUMAR GHOSH, Jt .Secy.